Print Date:-28/Jul/2026 12:45 PM

Signature Not Verified

Digitally signed by: Mr Manoj Chandra Misra
Reason :SEC E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 28-07-2026 12:46:24

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2026-2027)

Administrative Department : Secretary, Urban Development (S054)

Head of Department : Director Local Bodies(2877)

आवंटन पत्र संख्या -

आवंटन आई डी - S26070130043

अनुदान संख्या - 013

आवंटन पत्र दिनांक - 28-JUL-2026

लेखा शीर्षक -

4217	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	**03**	छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास
051	निर्माण	**07**	निराश्रित पशुओ एवम गौ सदनों हेतु आश्रय निर्माण
00	-		

4	2	1	7	0	3	0	5	1	0	7	0	0	

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	53-वृहद निर्माण	0	3306581	0	3306581
	योग	0	3306581	0	3306581

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes - Rs. 33,06,581 (Rupees Thirty Three Lacs Six Thousand Five Hundred Eighty One Only)

Batch ID : DIS:S054:S054:2607:0008

Approval Status : e-Sign letter

संख्या : /IV(2)-श0वि0–16(सा0)23/2026 (98816)

प्रेषक,

संतोष बडोनी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 **देहरादून : दिनांक जुलाई, 2026**

विषय : वित्तीय वर्ष 2026–27 में नगरपालिका परिषद, टिहरी के क्षेत्रान्तर्गत 'जे ब्लॉक में गौसदन निर्माण' हेतु द्वितीय एवं अंतिम किश्त की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 178209/IV(2)–श0वि0–16(सा0)23, दिनांक 28.12.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नगरपालिका परिषद, टिहरी के क्षेत्रान्तर्गत 'जे ब्लॉक में गौसदन निर्माण' हेतु रू0 65.24 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए तद्नुसार प्रथम किश्त के रूप में रू0 22.10 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी थी।

2– उपरोक्त के क्रम में अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, टिहरी के पत्र संख्याः 586/न0पा0प0टि0/गौशाला निर्माण/द्वितीय किश्त/2026–27, दिनांक 14.07.2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगरपालिका परिषद, टिहरी को प्रश्नगत कार्य हेतु प्राप्त न्यूनतम निविदा रू0 65,16,581/– में से प्रथम किश्त की धनराशि रू0 22,10,000/– तथा निकाय अंश रू0 10,00,000/– की धनराशि को घटाने के उपरान्त अवशेष **रू0 33,06,581/– (रूपये तेतीस लाख छः हजार पाँच सौ इक्यासी मात्र)** की धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(1) उक्त धनराशि **रू0 33,06,581/– (रूपये तेतीस लाख छः हजार पाँच सौ इक्यासी मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार नगरपालिका परिषद, टिहरी को यथा प्रक्रिया इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

(3) स्वीकृत निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

(4) स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2025 एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

(5) निर्माण कार्य समय–समय पर गुणवत्ता एवं मानको के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेंगे।

(6) कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय, जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है, स्वीकृति से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(7) उपरोक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं योजनाओं/कार्यों हेतु किया जायेगा, जिस हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है, किसी भी दशा में धनराशि का व्यावर्तन किसी अन्य योजना में नहीं किया जा सकता।

(8) उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से करा लिया गया है, तो उक्त स्वीकृत कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।

(9) धनराशि का दिनांक 31.03.2027 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्य का वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण, जियोटैग फोटोग्राफ्स, निकाय अंश उपयोग सम्बन्धी प्रमाण पत्र, यदि अद्यत नतक स्वीकृत धनराशि पर ब्याज अर्जित हुआ है, तो उक्त के राजमोष में जमा कराये जाने सम्बन्धी अभिलेख एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को मुहैया कर दिया जायेगा।

File No. UD2-1/B/5/2023-IV-2-Urban Development Department-Part(3) (Computer No. 98816)
Generated from eOffice by AJAY SINGH RAWAT, RO-Urban Development Section 2-ASR, REVIEW OFFICER, Urban Development Department on 28/07/2026 12:45 pm

(10) पूर्व निर्गत शासनादेश दिनांक 28.12.2023 में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2026–27 के आय–व्ययक के **अनुदान सं0–13** के लेखाशीर्षक–4217–शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–051–निर्माण–07–निराश्रित पशुओं एवं गौ सदनों हेतु आश्रय निर्माण–'53–वृहद निर्माण के नामे डाला जाएगा।

4– यह आदेश वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किए जाने संबंधित वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश 384289/09(150)2019/XXVII(1)/2026, दिनांक 01.04.2026 में दी गयी व्यवस्था के अधीन सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किए जा रहे हैं।

संलग्नक–एलॉटमेन्ट आई0डी0 S.....

भवदीय,

Digitally signed by
Santosh Badoni
Date: 27-07-2026
19:00:58

(संतोष बडोनी)
अपर सचिव।

प्रतिलिपि –निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4– जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
5– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6– वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
7– अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, टिहरी।
8– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

Digitally signed by
PRADEEP KUMAR SHUKLA
Date: 28-07-2026
11:50:35

(प्रदीप कुमार शुक्ल)
उप सचिव।

File No. UD2-1/B/5/2023-IV-2-Urban Development Department-Part(3) (Computer No. 98816)
Generated from eOffice by AJAY SINGH RAWAT, RO-Urban Development Section 2-ASR, REVIEW OFFICER, Urban Development Department on 28/07/2026 12:45 pm